खंड: 6, अंक: 03 मार्च 2023 DELHIN/2021/84711

संश्लेषण

सी जी एस मासिक पत्रिका

लोकतांत्रिक स्वतंत्रता बनाम चुनावी स्वछंदता

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस
वैश्विक अध्ययन केंद्र
(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)
दिल्ली विश्वविद्यालय

संपादक

प्रो सुनील कुमार चौधरी

संपादकीय मण्डल

डॉ रमेश भारद्वाज
डॉ संध्या वर्मा
डॉ महेश कौशिक

डॉ अभिषेक नाथ
डॉ आशीष कुमार शुक्ल
राम किशोर

© सीजीएस 2022

रूपांकन: काजल व सृष्टि

संश्लेषण

लोकतांत्रिक स्वतंत्रता बनाम चुनावी स्वछंदता

अनुक्रमिका

संपादकीय

1. लोकतांत्रिक स्वतंत्रता एवं चुनावी व्यवहार का महत्वः एक सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य
   – विकास यादव 1–4
2. लोकतंत्र में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के मध्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
   – निशांत यादव 5–11
3. स्वतंत्रता एवं समकालीन भारतीय लोकतंत्र – सृष्टि 12–14
4. लोकतांत्रिक स्वतंत्रता बनाम चुनावी स्वच्छंदता– एक विश्लेषण
   – हिमांशु द्विवेदी 15– 17
5. लोकतांत्रिक स्वतंत्रता बनाम चुनावी स्वच्छंदता – अंशुल कटियार 18–22

सम्पादकीय

वर्ष 2017 से सामरिक वाद–विषयों पर युवा शोधार्थियों द्वारा लेखिक शोध वैश्विक अध्ययन केंद्र के मासिक प्रकाशन के रुप में एक निरंतर व निरुत्तर प्रयास का प्रतिबिंब बन गए हैं। किसी भी शोध केंद्र के लिए प्रकाशन की पहल तथा गुणवत्ता सहित उसकी निरंतरता एक महत्वपूर्ण चुनौती भी रहती है। प्रकाशन के विभिन्न सरोकारों और चुनौतियों के आलोक में अपनी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के 56वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए केंद्र को एक बार पुनः अत्यंत हर्ष और उल्लास का अनुभव हो रहा है। निरंतरता की इस कडी में संश्लेषण का यह अंश शोध के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एवं दृढ़निश्चतता को प्रदर्शित करने का ही एक सामान्य प्रयास है।

वर्ष 2023 के प्रारंभिक माह राजनीति एवं न्याय के मध्य नव आयामों और अंर्तविरोधों को प्रकट करते हैं। श्री राहुल गाँधी की भारत जोडो यात्रा ने एक बार पुनः कांग्रेस को राजनीतिक परिदृश्य के मुख्य पटल पर खडा कर दिया। राहुल गाँधी की कांग्रेसी संगठन में तथा देश में लोकप्रियता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निष्क्रियता से एक सक्रिय राजनीतिक आंदोलन से जोड दिया। राहुल गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की सक्रियता एक नवीन राजनीतिक आंदोलन का रुप लेने लगी।

श्री राहुल गाँधी की राजनीतिक प्रतिष्ठा उनकी न्यायिक आस्था के समक्ष क्षीण हो गई जब सूरत न्यायालय ने 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध उनके उपनाम के संदर्भ में दो वर्ष की सजा सुनाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) तथा जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के धारा 8 के अंर्तगत किसी भी सदस्य की दोषसिद्धि उसकी संसदीय अयोग्यता का कारण बन जाती है। न्यायालय के निर्णय के पश्चात् राहुल गाँधी की संसदीय सदस्यता समाप्त कर दी गई तथा उनके संसदीय आवास को भी रिक्त कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सूचना भेज दी गई।

श्री राहुल गाँधी की ससंदीय सदस्यता समापन ने स्वतंत्रता बनाम स्वछंदता वाद–विवाद को राष्ट्रीय राजनीति में प्रबलता से खडा कर दिया। कांग्रेस समर्थकों ने न्यायिक निर्णय को राजनीतिक स्वतंत्रता पर प्रहार की संज्ञा दी, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का चुनावी स्वछंदता पर संहार की अनिवार्यता के रुप में संबोधन किया। राष्ट्रीय स्तर पर विषय की महत्ता तथा राजनीतिक स्तर पर विमर्श की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने 'लोकतांत्रिक स्वतंत्रता बनाम

चुनावी स्वछंदता' विषय पर लेख आमंत्रित किये। पाँच उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं।

संश्लेषण के ये समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक राजनीति के बहुआयामी विषयों को भी संबोधित करते हैं। स्वतंत्र चिंतन पर आधारित लेखकों के विचार उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदृशित करने का एक सर्वनिष्ठ प्रयास, प्रयत्न और परिणाम है।

संपादक मंडल

शुक्रवार, 14 अप्रैल 2023

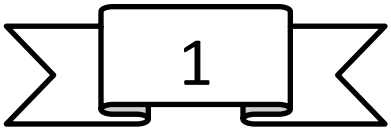

लोकतांत्रिक स्वतंत्रता एवं चुनावी व्यवहार का महत्वः एक सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

विकास यादव

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी व्यवहार का अध्ययन केंद्रीय महत्व रखता है, क्योंकि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता मतदाताओं की आकांक्षाओं, जरूरतों और मांगो को दर्शाती है। चुनावी व्यवहार को लोकतंत्र में मतदाताओं के दृष्टिकोण से जानना जरूरी है क्योंकि एक चुनाव से दूसरे चुनाव में उनके बदलते निर्णय, बदलती धारणाओं एव प्राथमिकताओं से उनकी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में नवीन परिवर्तन देखे जा सकते है। इस संबंध में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता एवं चुनावी व्यवहार के तीन महत्वपूर्ण संकेतकों को जानना आवश्यक है। पहलारू विचार विमर्श (Deliberation), दूसरा, भागीदारी (Participation), तीसरा, एकीकरण (Integration)। ये तीन संकेतक किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए एव उसकी स्वतंत्रता और चुनावी व्यवहार को मजबूत करने के लिए आवश्यक एवं केंद्र बिंदु देखे जा सकते है, इसलिए इनका अध्ययन एवं विश्लेषण अतिआवश्यक है।

सबसे पहले अगर विचार–विमर्श (Deliberation) संकेतक का विश्लेषण किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि इस संकेतक के माध्यम से एक विशेष तरीके से चर्चा करने पर अधिक बल दिया जाता है। विचार–विमर्श मॉडल को विचार–विमर्श लोकतंत्र भी कहा जाता है जहा पर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का निवास होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सफल एव परिपक्व बनाने के लिए नियमित चर्चा, प्रदर्शन और विचार विमर्श एक मूल आधार के रूप में इस संकेतक का केंद्रीय हिस्सा है। कोई भी निर्णय लोकतंत्र में वैध एव प्रामाणिक होना चाहिए जो कि परस्पर विचार–विमर्शों द्वारा ही सफल एव संभव होता है।

दूसरा, भागीदारी (Participation), यह संकेतक लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता के लिए विभिन्न कारकों को दर्शाता है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारकों को मुख्यतः देखा जा

सकता है। यह संकेतक विभिन्न तंत्रो द्वारा जनता की भागीदारी एवं उनके चुनावी व्यवहार और राय पर बल देता है इसलिए इसे सहभागी लोकतंत्र भी कहा जाता है जिसमे सभी नागरिकों की सहभागिता एक मूल आधार होती है। सहभागी लोकतंत्र द्वारा यह समझा जा सकता है कि चुनावी प्रक्रिया द्वारा लोगो की व्यापक भागीदारी की परिकल्पना को मजबूत करने पर बल दिया जाता है। विश्व की सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोगों की भागीदारी चाहे नागरिक के रूप में, मतदाताओं के रूप में या निर्वाचको के रूप में सदैव लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मजबूती को सुनिश्चित एव परिपक्व करती है एवं यह लोकतंत्र का अभिन्न अंग भी बन गई है। इसी अनुरूप यह देखा जा सकता है कि वैश्विक प्रवति का वर्णन करते हुए सैमुअल पी. हंटिंग्टन (Samuel P Huntington) ने लोकतंत्रीकरण की तीन महत्वपूर्ण लहरों (Three Waves of democratization) की बात की है। इन तीन लहरों के माध्यम से हंटिंग्टन ने लोकतांत्रिक देशों के महत्वपूर्ण परिवर्तनो को दर्शाया है जिसमें वो बता ते है कि भागीदारी एवं सहभागिता सभी लोकतांत्रिक देशों का एक प्रमुख बिंदु बनी रही।

तीसरा, एकीकरण (Integration), यह संकेतक समग्रता का प्रतीक है जिसमें की लोकतांत्रिक मूल्यों पर अधिक बल देते हुए एकीकरण को समाज के स्वीकृत हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यहा पर इस बात पर आधारित है कि नागरिकों का एकीकरण यानी उनकी लोकतांत्रिक हिस्सेदारी में कितनी बढ़ातरी हुई है एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी कितनी प्रबल है। इसलिए यहा पर यह समझना आवश्यक है की लोकतांत्रिक राजनीति का परिवर्तित स्वरूप किस और अग्रसर है, क्या यह नीचे से ऊपर की पद्धति (Bottom & up Approach) को दरकिनार करके विशेष रूप से ऊपर से नीचे (Top & Down Approach) की तरफ आधारित है। अतः किसी भी लोकतंत्र में निर्णय किस प्रकार लिए जाते है वह महत्वपूर्ण है, सही निर्णय तभी संभव है जब निर्णय नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण (Bottom & up Approach) के अनुरूप लिया जाए जो कि एक सहभागिता एव समग्रता का प्रतीक है। इसी के अनुरूप यह देखा जा सकता है कि दुनिया के विभिन्न लोकतांत्रिक प्रणालियों ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल (पीपीपी मॉडल) जैसे मॉडलों को जन्म दिया है। यह मॉडल नागरिकों को प्रतिभागियों के रूप मं देखता है ना कि प्राप्तकर्ता के रूप में। अतः एकीकरण की इस धारणा को अगर समग्रता के ओर अधिक नजदीक लेकर जाना है और मजबूत एव सुदृढ़ करना है तो लोगों को विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक प्रकियाओं में भागीदार के साथ–साथ प्राप्तकर्ता के रूप में भी देखना आवश्यक है।

अंततः यह समझा जा सकता है कि चुनावी व्यवहार एवं लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के महत्व का तात्पर्य यह है कि विचार–विमर्श (Deliberation), भागीदारी (Participation) एवं एकीकरण (Integration) की लोकतांत्रिक परिकाष्ठा के माध्यम से अलगाव एवं भेदभाव को दूर किया जा सकता है एवं लोगों

की भागीदारी और हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि लोगों के लिए एवं विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के लिए लोकतांत्रिक स्वतंत्रता एवं भागीदारी एक स्तम्भ के रूप में काम करती हैं। इसी तरह चुनावी व्यवहार का महत्व भी समझा जा सकता है की कैसे लोकतांत्रिक प्रणाली की वजह से चुनावी व्यवस्था मजबूत होती है और उससे लोगों को यह अधिकार मिलता है कि वे अपने अनुसार नए एवं नवीन परिवर्तन ला सके। लोकतंत्र में चुनाव लोगों के मतदान व्यवहार को दर्शाता है की वे किसे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते है जिससे कि उनकी आकांक्षाओ एवं प्राथमिकताओं को पूर्ण किया जा सके। लोकतंत्र में चुनाव एवं मतदाता एक आवश्यक पहियों के रूप में देखे जा सकते है जो कि चुनावी व्यवहार की महत्वपूर्ण कड़ियों के रूप में निरंतर कार्य करते है। इसलिए चुनावी व्यवहार के परिपेक्ष्य को समझना भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे लोगों द्वारा किसी भी लोकतंत्र में सकारात्मक प्रभाव एवं परिणाम लाये जा सकते है, अतः किसी भी राष्ट्र के निर्माण एवं उसकी उन्नति की नींव उसके नागरिको में विलीन होती है जिससे कि आदर्श परिवर्तन देखे जा सकते है।

संदर्भ सूची–

Acharya Sunil K Choudhary- (2020), Department of Political Science, University of Delhi] in his class lecture 'Society] State and Politics: Comparing Israel and India', Course, MA 4th Semester.

♦♦♦♦♦

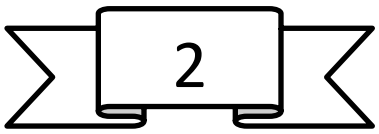

लोकतंत्र में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के मध्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

निशांत यादव

सहायक प्रोफेसर, राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय, आगरा

स्वतंत्रता की अवधारणा लोकतंत्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। ब्रिटेन में सौ वर्षीय गृह युद्ध के पश्चात जब राजतंत्रात्मक शासन की प्रभुसत्ता को सीमित करते हुए संसद का उदय होता है तो अधिकारों के घोषणापत्र मैग्नाकार्टा के साथ ही स्थानीय नागरिकों के लिए स्वतंत्रता की अवधारणा भी फलीभूत होने लगती है। फ्रांस में क्रांति का नारा ही "स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व" था। जिसके बाद वहाँ बूर्बो वंश के राजा लूई–16 का जीवन समाप्त करके संसद का गठन होता है और संविधान द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता का प्रावधान किया जाता है। कुछ इसी तरह रूस में होता है, जब वोल्शेविक और मेन्शेविक क्रांति क पश्चात जारशाही का अंत होता है और ड्यूमा के गठन के साथ ही स्वतंत्रता की अवधारणा का प्रस्फुटन होता है। जर्मनी में नेपोलियन बोनापर्ट के नेतृत्व में राष्ट्र का एकीकरण होता है और लोकतांत्रिक सत्ता के द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ क गठन और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि उपमहाद्वीपों में विपनिवेशीकरण के पश्चात तृतीय विश्व के इन नव–स्वतंत्र राष्ट्रों नें संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्रिकरण की अवधारणा के तहत राज्य संचालन की स्वदेशी व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को अपनाया। जिसके तहत अपने राज्य के नगरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करना लोकतंत्र का प्रथम और मूल उद्देश्य माना गया और इसी प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति के तौर पर सभी देशों नें अपने नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की।

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में स्वतंत्रता की सुनिश्चितता के पश्चात जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा सामुदायिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता की अवधारणा से टकराने लगा तो प्रश्न उठना प्रारम्भ हुआ कि स्वतंत्रता की अवधारणा में व्यक्तिगत और सामुदायिक के इस संघर्ष को कैसे दूर किया जाए। इस संघर्ष के निदान की जिम्मेवारी राज्य और सरकार के ऊपर थी। राज्य प्रतिबंध आरोपित कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करते हुए सामुदायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर सकता है। या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अबाध छोड़कर सामुदायिक स्वतंत्रता के साथ उसके

निरंतर संघर्ष को बनाए रख सकता है। किसी भी राज्य में संघर्ष के बने रहने को बुरा माना जाता है वहीं शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व को एक अच्छे राज्य के प्रतिदर्श के रूप में स्थापित किया जाता है। अतः कोई भी राज्य नहीं चाहता है कि उसके यहाँ समाज में संघर्ष गतिमान हा। जिसके एवज में यह राज्य के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह स्वतंत्रता की परिधि में इस व्यक्तिगत और सामाजिक के संघर्ष को नियमबद्ध और व्यवस्थित तौर विराम दे। निदान की दिशा में राज्य के लिए यह भी महती आवश्यक होता है कि वह सामाजिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त न करें बल्कि दोनों के मध्य सामंजस्य बनाए रखने का कार्य करे ताकि किसी के भी प्रति अन्याय न हो सके।

स्वतंत्रता की अवधारणा अतिव्यापक है। बर्लिन जहां इसे नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजित करते हुए नकारात्मक स्वतंत्रता पर जोर देता है वहीं जेम्स स्टूअर्ट मिल इसे आत्म–परक और पर–परक स्वतंत्रता में बाँटते हुए पर–परक स्वतंत्रता के तहत राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुछ युक्ति–युक्त प्रतिबंध लगाने की बात करता है। काँट स्वतंत्रता के तहत मानव के गरिमापूर्ण जीवन जीने पर बल देता है और उसके इसी अवधारणा पर 10 दिसंबर सन 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों का घोषणापत्र जारी होता है। तमाम स्वतंत्र और नव–स्वतंत्र देश अपने संविधान के द्वारा मूलअधिकार के तहत स्वतंत्रता की अवधारणा को नागरिक और समाज के लिए प्रस्तुत करते हैं।

भारत भी इन्ही में से एक राज्य है जो ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र होने के पश्चात अपने राष्ट्र के नगरिकों को मूलअधिकार के तहत स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों में एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य, समाज या समुदाय के परिप्रेक्ष्य में अबाध स्वतंत्रता की कल्पना राज्य को सामाजिक अराजकता में धकेलने जैसा होगा। जिसके पश्चात स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है। उपर्युक्त आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या हो?, यह हमेशा से विवाद का विषय रहा है। विगत कुछ वर्ष पूर्व फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के एक कार्टून को लेकर विवाद शुरू हो गया था। जिसके पश्चात खाड़ी के इस्लामिक राष्ट्रों एवं पाकिस्तान सहित अन्य मुस्लिम राष्ट्रों ने इस पर अपना विरोध जताया था। कार्टून बनाने को लेकर ईश निंदा के तहत फ्राँस में कई स्थानों पर हिंसात्मक हमले भी हुए थे। नोस के चर्च में हुई हिंसात्मक कार्यवाही में तीन व्यक्तियों नें अपने प्राण गवाँ दिए थे। जिस कारण इस हिंसात्मक कार्यवाही के विरुद्ध क्रुद्ध होते हुए फ्राँस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि कार्टून से किसी व्यक्ति या समुदाय को ठेस पहुँच सकती है परंतु इस ठेस के प्रतित्तर में हिंसा कतई स्वीकार्य नहीं है।

लोकतंत्र के व्यापक परिप्रेक्ष्य में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कई बार आतंकवादियों, अलगाववादियो, उग्रवादियों के लिये भी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और मानवाधिकार की बात की जाती रही है। लेकिन यहाँ उल्लेखनीय है कि, स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता में अंतर होता है। मानवाधिकार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान द्वारा संरक्षित है। अब प्रश्न उठता है कि, संविधान की सुरक्षा कौन करता है? और जो संविधान की सुरक्षा करता है उनके मानवाधिकारों की रक्षा की बात उतनी मुखरता से क्यों नहीं की जाती, जितना की अन्य की? उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी सुनिश्चित की जाती है? आतंकवादियो, अलगाववादियों, उग्रवादियों की मृत्यु पर अगर उनके घर दुःख और संवेदनाएँ व्यक्त की जा सकती हैं, तो क्या शहीदों के घर जाकर दुःख और संवेदनाएँ व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है? क्या उन सैनिकों, सिपाहियों के लिए कोई मानवाधिकार की अवधारणा नहीं होती, जिनके ऊपर पड़ोसी राष्ट्रों से धन मिलने पर अपने ही राष्ट्र के युवक, युवतियाँ पत्थर फेंकते हैं। उपर्युक्त तथ्यों और समस्याओं को देखते हुए मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की राष्ट्रहित में मर्यादा सुनिश्चित किए जाने की अतिआवश्यकता है। विश्व के अधिकतर राष्ट्रों द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी उदारवादी लोकतांत्रिक अवधारणा की व्यवस्था की गई है। परंतु ऐसे भी कई राष्ट्र हैं, जिन्होंने इन अवधारणाओं से दूरी बना कर रखी है।

इस संबंध में यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा की जाए तो यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न सिर्फ मूलअधिकार है बल्कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता भी रही है। जिसे भारत के धार्मिक ग्रंथों, साहित्य, उपन्यासों आदि में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अभिव्यक्ति के स्वरूपों की बात की जाए तो इसमें किताब, चित्रकला, नृत्य, नाटक, फिल्म निर्माण तथा वर्तमान में सोशल मीडिया को सम्मिलित किया जा सकता है। इसी प्रकार स्वतंत्र अभिव्यक्ति की भारतीय परंपरा को किसी भी प्रकार से हानि पहुँचाने से बचाने हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा इसे कानूनी वैधता प्रदान करते हुए मूल अधिकारों का हिस्सा बनाया गया तथा अनुच्छेद–19 के उपबंध(1) उपखंड (क) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं में प्रथम स्थान प्रदान किया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उन्नत भारतीय परंपरा पर और अधिक गहनता से विमर्श करें तो यह प्राप्त होता है कि यहाँ स्वतंत्र होते ही लोकतांत्रिक प्रणाली के उदय स ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने उत्कर्ष पर थी। उदाहरण के तौर पर एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिवस पर एक कवि संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू स्वयं उपस्थित थे और इस संगोष्ठी में युवा कवि नागार्जुन काव्य पाठ करने के लिए मंच पर उपस्थित हुए और उन्होंने नेहरू के सामने काव्यपाठ किया कि,

"वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं,

फिर भी बापू की समाधि पर झुक–झुक फूल चढ़ाते हैं"

काव्य पाठ से अलग–अगर सिनेमा की चर्चा करें तो दो बीघा जमीन, रोटी, कपड़ा और मकान, मदर इंडिया, प्यासा, पार, निशांत, अंकुर आदि फिल्मों का निर्माण हुआ जिसमें भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के निदान के संदर्भ में सरकार और राज्य की कार्यप्रणालियों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। सिनेमा जगत की चिंतायुक्त यह अभिव्यक्ति इतनी व्यापक और जनसरोकार से जुड़ी हुयी थी कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को अगले चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए "गरीबी हटाओ" का नारा देना पड़ा और चुनाव पश्चात निर्वाचित सरकार चाहते न चाहते हुये इस चुनावी अभिव्यक्ति को पूर्ण करने की ओर कई प्रयास करने पड़े। किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन हैं। भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को बाधित किया जा सकता है। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस एवं पत्रकारिता भी विचारों के प्रचार का एक साधन ही है। इसलिए अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है।

भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्यापक सहिष्णु संकल्पना ही है कि, जनकवि नागार्जुन जहां नेहरू को प्रधानमंत्री रहते हुए उनके जन्मदिवस पर अपने काव्य पाठ द्वारा उन्हें लज्जित कर देते हैं, वहीं आपातकाल की उद्घोषणा के पश्चात जेल में बंद होने पर उनकी सुपुत्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी अपने काव्य से शर्मिंदा होने के लिए छोड़ देते हैं। नागार्जुन लिखते हैं कि,

क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को?

इन्दु जी, इन्दु जी, क्या हुआ आपको? बेटे को तार दिया, बोर दिया बाप को!

आपकी चाल–ढाल देख– देख लोग हैं दंग, हकूमती नशे का वाह–वाह कैसा चढ़ा रंग

सच–सच बताओ भी क्या हुआ आपको, यों भला भूल गईं बाप को!

छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, काले चिकने माल का मस्का लगा आपको

किसी ने टोका तो ठस्का लगा आपको, अन्ट–शन्ट बक रही जनून में

शासन का नशा घुला खून में, फूल से भी हल्का समझ लिया आपने हत्या के पाप को

बचपन में गांधी के पास रहीं, तरुणाई में टैगोर के पास रहीं, अब क्यों उलट दिया 'संगत' की छाप को?

क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, बेटे को याद रखा, भूल गई बाप को

रानी महारानी आप, नवाबों की नानी आप, नफाख◌ोर सेठों की अपनी सगी माई आप

काले बाजार की कीचड़ आप, काई आप

सुन रहीं गिन रहीं, गिन रहीं सुन रहीं सुन रहीं सुन रहीं, गिन रहीं गिन रहीं

हिटलर के घोड़े की एक–एक टाप को, एक–एक टाप को, एक–एक टाप को

सुन रहीं गिन रहीं एक–एक टाप को हिटलर के घोड़े की, हिटलर के घोड़े की

एक–एक टाप को३छात्रों के खून का नशा चढ़ा आपको, यही हुआ आपको, यही हुआ आपको।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद–14,15,16 जहां सामाजिक समानता और स्वतंत्रता को निर्धारित करता है वहीं अनुच्छेद–17 अस्पृश्यता उन्मूलन को उपबंधित करता है। तमाम संवैधानिक और राजकीय प्रयासों के बावजूद हम अभी इन समस्याओं का पूरी तरह निराकरण नहीं कर पाए हैं। राज्य और सरकार को इन सामाजिक मुद्दों की तरफ सचेत करने के लिए आलोचना की दृष्टि से निरंतर फिल्में बनायी जा रही हैं लेकिन भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्ता और राज्य की सहिष्णुता देखिए की इन विषयों पर फिल्म निर्माण को कभी प्रतिबंधित नहीं किया गया। उदाहरण के रूप में हम अछूत कन्या से लेकर सुजाता, पार, काला, आर्टिकल–15 आदि फिल्मों को देख सकते हैं।

बढ़ती चुनावी प्रतिस्पर्धा के दौरान आजकल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर घृणास्पद, जाति आधारित अभिव्यक्ति का चलन बढ़ता जा रहा है। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि, किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता बिना निर्बंधन के अपने व्यापक रूप में नकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करती है। यही समस्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी है और जब यह अपनी सीमा का उल्लंघन करती है तो घृणास्पद, जातिध्धर्मधलिंगध्जन्मस्थान आदि आधारित अभिव्यक्ति सामाजिक अराजकता का कारण बनती है। यद्यपि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राष्ट्र का मूल आधार है, तथापि समाज को अराजकता से बचाने के उद्देश्य से इस पर सीमित अर्थों में तार्किक प्रतिबंध आरोपित किये गए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत प्रक्रिया एवं विषय–वस्तु दोनों का तार्किक होना अनिवार्य है। सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम–2000 की धारा–66 (अ) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को

युक्तियुक्त तथ्यों एवं तर्कों के आलोक में सीमित करने का प्रयास किया गया है। वहीं संविधान द्वारा इस पर लोक व्यवस्था, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, अपराध को बढ़ावा देना, सदाचार, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना तथा मानहानि के आधार पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ–

खोसला, माधव (2018). भारत का संविधानः एक परिचय. नयी दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

भार्गव, राजीव और अशोक आचार्य (2017). राजनीति सिद्धांतः एक परिचय. नयी दिल्लीः पियर्सन

♦♦♦♦♦

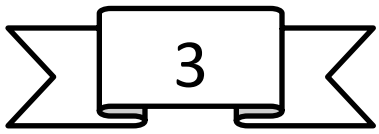

स्वतंत्रता एवं समकालीन भारतीय लोकतंत्र

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

समकालीन भारत में यदि आज कोई एक विषय सबसे अधिक प्रासंगिक है, तो वह है लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता। राज्य व शासन की आधुनिक अवधारणा अपने पूर्ण प्रस्फुटित रूप में 1789 में फ्रांस की राज्यक्रांति के समय सामने आई थी, क्योंकि क्रांतिकारियों के हाथों में लिबर्टी–इक्वालिटी–फ्रैटरनिटी (स्वतंत्रता–समानता–बंधुत्व) का झंडा था। यह आधुनिक समाज में रहने वाले नागरिक और उसके सामाजिक–राजनीतिक पर्यावरण की संपूर्ण अवधारणा थी। राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का प्रथम दस्तावेजी प्रयास 1215 में इंग्लैंड के शासक जॉन (1166–1216) के समय किया गया था, जब 1214 में उत्तरी फ्रांस में हुए युद्ध में पराजित होने के पश्चात उन्हें अपने विद्रोही सामंतों के दबाव के सामने झुकना पड़ा था और मैग्ना कार्टा अर्थात स्वतंत्रताओं के महान घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। इस घोषणा–पत्र में प्रथमतया राजा के अधिकारों पर औपचारिक और कानूनी ढंग से अंकुश लगाया गया था। यह महान घोषणा–पत्र आगे तक राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तन के लिए सक्रिय होने वाले सुधारकों, चिंतकों और क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणास्रोत बना रहा।

स्वतंत्रता की अवधारणा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति की स्वतंत्रता निहित है। लोकतंत्र की नींव भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों पर ही रखी गई है। इन मूल्यों के बिना लोकतंत्र शासन–व्यवस्था का ऊपरी खोल भर बनकर रह जाता है। वह स्वतंत्र नागरिक और राज्यसत्ता या शासन–तंत्र के मध्य का स्वस्थ संबंध नहीं बन पाता। ऐसी स्थिति में नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए आंदोलनों व संघर्षों की आवश्यकता पड़ती है। उल्लेखनीय है कि 1958 में स्वीकृत फ्रांस के संविधान में राज्यक्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को औपचारिक रूप से सम्मिलित किया गया और अब वहां के संविधान के अनुसार शासन इन मूल्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

उन्नीसवीं सदी में भारत के विभिन्न भागों में यूरोप के ज्ञानोदय जैसा दृश्य देखा गया, जिसे सामान्य रूप से नवजागरण या पुनर्जागरण कहा जाता है। राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद, ज्योतिबा फुले जैसे अनेक विचारकों एवं समाज सुधारकां ने अपने लेखन और सक्रिय कर्म से राजनीतिक और सामाजिक बेड़ियों को काटने की चेतना उत्पन्न की। इसी का एक प्रतिफलन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में सामने आया। नागरिक अधिकारों की चेतना और उन्हें प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की इच्छा इसो काल में पनपी। कांग्रेस की स्थापना के पीछे यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि भारतीय अपने लिए वही अधिकार और सुविधाएं चाहते थे जो उनके अंग्रेज शासकों को भारत में मिली हुई थीं या फिर अंग्रेज नागरिकों को ब्रिटेन में प्राप्त थीं।

संभवतः इसकी पहली स्पष्ट उपस्थिति 1895 में प्रस्तुत किए गए भारतीय संविधान विधेयक में देखने को मिली, जिसकी धारा 16 में स्वतंत्र अभिव्यक्ति, केवल सक्षम अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तारी और मुफ्त सरकारी शिक्षा जैसी बातें शामिल की गई थीं। 1917 और 1919 के बीच कांग्रेस के अधिवेशनों में अनेक ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें नागरिक अधिकारों और अंग्रेजों के समान दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी। एक प्रस्ताव में तो यह भी कहा गया था कि ब्रिटिश संसद भारतीय प्रजाजनों के लिए स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और कानून के सामने समानता के अधिकार देने वाला विधेयक पारित करे। अंग्रेज होते हुए भी एनी बेसेंट ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल की और विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत करके ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए विभिन्न नागरिक स्वतंत्रताओं की मांग को उठाया। अर्थात नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों के लिए संघर्ष भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए चलने वाले आंदोलन का अभिन्न अंग था।

इसलिए स्वाधीन भारत के संविधान में आधारिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि राज्य इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। सात भागों में विभक्त ये अधिकार हैं–स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। सभी नागरिकों को अपने–अपने धर्म का पालन और प्रचार–प्रसार करने, इकट्ठा होने और आने–जाने का अधिकार है। स्थितियों के अनुसार इन अधिकारों पर विवेकसम्मत बंदिशें लगाई जा सकती हैं, किंतु निरंकुश ढंग से उनमें कटौती नहीं की जा सकती।

राहुल गांधी ने ब्रिटेन दौरे में यह भी कहा कि उनके जैसे नेताओं को न तो शिक्षा संस्थानों में बोलने दिया जाता है और न ही संसद में। सबसे पहले तो यह निरा झूठ है कि उन्हें शिक्षा संस्थाओं में नहीं बोलने दिया जाता। लगता है वह विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में दिए गए अपने

संबोधनों को भूल गए। जहां तक संसद में बोलने से रोकने की बात है, तो इस झूठ की पोल संसद में उनके रिकार्ड से खुल जाती है। वह संसद में कोई सवाल नहीं पूछते और किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का हिस्सा भी मुश्किल से बनते हैं। वह संसद में कितने गंभीर रहत हैं, इसका पता इससे चलता है कि एक बार उन्होंने यह दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को गले लगा लिया था कि वह उनसे नफरत नहीं करते, लेकिन सच यह है कि उनके अधिकतर भाषण मोदी के अंध विरोध का पर्याय होते हैं।

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कुल मिलाकर मोदी के विरोध में ही बोलते रहे। इस यात्रा के दौरान वह कोई नया विचार रखने के बजाय वही बातें दोहराते रहे, जो वह पहले न जाने कितनी बार कर चुके हैं। उनका यह जुमला बार–बार सुनने को मिलता है कि मोदी सरकार चंद उद्योगपतियों के हितों की रक्षा कर रही है। अंबानी–अदाणी का नाम लेकर वह न केवल उद्योगपतियों को कोसते हैं, अपितु मोदी को भी। भले ही राहुल गांधी यह कहें कि भारत जोड़ो यात्रा से उनकी राजनीतिक समझ बढ़ी है और वह भारत को उत्तम तरीके समझने लगे हैं, किंतु ऐसा लगता नहीं।

स्वतंत्रता के लिए समानता व बंधुत्व अनिवार्य हैं। किसी एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के लिए ये तीनों ही एक साथ जरूरी हैं। संविधान ने धर्म के साथ–साथ संस्कृति के पालन की भी स्वतंत्रता दी है अर्थात प्रत्येक को अधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार खाए और पहने। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना किसी भी तरह की स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के स्थान पर स्वच्छंदता का प्रयोग करे। अर्थात यह लोकतंत्र के लिए अत्यधिक घातक है।

♦♦♦♦♦

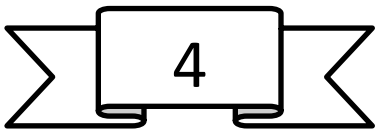

लोकतांत्रिक स्वतंत्रता बनाम चुनावी स्वच्छंदता– एक विश्लेषण

हिमांशु द्विवेदी

विधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

विश्व में प्रचलित शासन के बहुत से प्रकारों में लोकतंत्र का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता का शासन है, जो अपने आप में बहुत ही व्यापक अर्थ रखता है। सैमुअल पी. हटिंगटन जिन्होंने 'थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी' नामक अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से बताया है कि समय के साथ किस प्रकार से लोकतंत्र विश्व शासन व्यवस्था में अन्य शासन प्राणलियों की अपेक्षा अधिक प्रचलित होता चला गया और यह सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में विश्व पटल पर उभरा। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र को सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया है क्योंकि यह जनता को शासन के अधिकार देती है, जिससे लोगों के बीच देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भरोसा बढ़ता है। इस आलेख में हम भारत के संदर्भ में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के साथ ही चुनावी स्वच्छंदता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि यह स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर व्यक्ति को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने का प्रयास करती है। मनुष्य का उत्थान उसके व्यक्तित्व की क्षमताओं को पहचान कर उन्हें सही दिशा में क्रियान्वित करने से ही संभव है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने अधिकारों को पहचानने में सक्षम बनाने के साथ ही उन अधिकारों को उपयोग करने लायक क्षमता प्रदान करती है। शासन प्रणालियों में चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत नागरिकों को वोट का अधिकार प्राप्त होने के साथ ही चुनाव में भाग लेना का भी अधिकार प्राप्त होता है। भारत का संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मूल अधिकार प्रदान करता है। जिसके अंतर्गत नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।

भारत में चुनाव लोकतांत्रिक त्योहार की भांति मनाया जाता जाता है। प्रत्येक नागरिक अपने समान अधिकार का प्रयोग करते हुए चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। चुनाव

प्रणाली को सुगम बनाने में निर्वाचन आयोग मुख्य भूमिका निभाता है। जो चुनावी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के साथ चुनावी स्वच्छंदता पर लगाम रखने का प्रयास करता है। स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता का रूप धारण करके दूसरों के अधिकारों का हनन करने लगता है, उसी समय लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग होने लगता है। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग तब तक कर सकता है जब तक वह दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न करे।

चुनावी प्रतिस्पर्धा में राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा से जनता के बीच अपनी पैठ बनाने का प्रयास करती हैं। किंतु राजनीतिक दल अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अवांछित साधनों का प्रयोग करते हैं। चुनावी स्वच्छंदता को नियंत्रित करने में निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किंतु चुनाव वह समय होता है जब सत्ता प्राप्ति की होड़ लगी होती है। ये चुनाव अपने मूल चिंतन से अलग जाकर सत्ता प्राप्ति का साधन बनकर रह गए हैं। सिर्फ चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर देना ही लोकतांत्रिक अधिकारों का उद्देश्य नहीं है। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि शासन संचालन में नागरिकों की स्पष्ट भागीदारी हो। जिससे नागरिक समाज का सफल संचालन हो सके।

चुनावी बयार में कब लोकतांत्रिक स्वतंत्रता चुनावी स्वछंदता का रूप ले लेती है और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करती है यह समझना मुश्किल हो जाता है। आजादी के उपरांत समय के साथ चुनावी मूल्यों का ह्यास होता गया। वो अधिकार जो लोगों को शासन व्यवस्था में जोडकर मनुष्य की गरिमामय उपस्थिति के लिए प्रदान किए गए हैं वही दूसरों के अधिकारों के भक्षक बन जाते हैं। हालांकि समय समय पर कमीशनों के गठन के साथ स्वस्थ चुनावी प्रक्रिया का संचालन करने के प्रयास चुनाव आयोग और सांसद द्वारा किए जाते रहे हैं। किंतु कभीदृकभी चुनावी प्रत्याशी रैलियों, भाषणों, समर्थकों, चुनावी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सामाजिक वैमनस्यता को जन्म देते हैं जो सिर्फ सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जाती है किंतु इसके गहरे सामाजिक प्रभाव होते हैं। सत्ता की शक्तियों का दुरुपयोग चुनावी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। चुनाव के दौरान भारी मात्रा में काला धन, अवैध शराब का प्रयोग देखा जाता है। साथ ही चुनावी दल अपने अपने मंच से लोक लुभावन वादे करते नजर आते हैं। इन वादों का राजस्व व्यय पर सीधा असर पड़ता है जो आम लोगों पर बोझ डालता है। आजकल रेवड़ी बांटने की संस्कृति का प्रचलन चुनावों में हुआ है जो मुफ्त में चीजे बांटने के वादों से संबंधित है।

भारतीय चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने तथा इन गतिविधियों पर नकेल लगाने, चुनावी स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में बदलने से रोकने के लिए व्यापक कड़े नियम कानूनों के अभाव में ये और तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत मे निर्वाचन आयोग के ऊपर चुनावों को सही ढंग

से करने की जिम्मेदारी होती है किंतु एक ही संस्था पर इतने बड़े लोकतंत्र की जिम्मेदारी होने से चुनावी गतिविधियों में इन समस्याओं को व्यापक स्थान नहीं मिल पाता साथ ही निर्वाचन आयोग के पास सीमित संसाधन भी एक समस्या है।

भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है साथ ही स्वतंत्रता के बाद से सफल चुनाव कराने में लगातार सफल रहा है। आज उसे आवश्यकता है कि चुनावी मूल्यों के उत्थान के लिए चुनाव के अंतर्गत लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून बनाए जो लोगों को शासन व्यवस्था से ज्यादा से ज्यादा जोड़ते हुए सभी वर्गों के हितों की रक्षा करते हुए सामाजिक समरसता बनाए रखें। जिससे एक पक्ष की चुनावी स्वच्छंदता दूसरे पक्ष के लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का हनन न करे। तभी लोकतंत्र का अर्थ सच्चे शब्दों में साकार हो सकेगा। साथ ही चुनावी प्रत्याशियों को यह याद रखना आवश्यक है की चुनाव उनके लिए सत्ता प्राप्ति का सिर्फ साधन नहीं हैं बल्कि यह एक ऐसा मंच हैं जिससे देश और समाज की समस्याओं को पहचान कर उनको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। जनता सत्ता प्राप्ति का चुनावी साधन न होकर स्वयं में साध्य है जिसके सर्वांगीण विकास के लिए ही लोकतांत्रिक प्रणाली को देशों ने अपनाया है। साथ ही नागरिकों को भी चुनावों के दौरान असामाजिक गतिविधियों को रोकने का अपने स्तर पर प्रयास करना आवश्यक है, क्योंकि एक देश अपने नागरिकों के आचरण से ही प्रगतिशील बन सकता है। भारत के अंदर असीम क्षमताएं हैं जिससे वह स्वयं में ही सुधार कर लोकतंत्र के नए पैमाने गढ़ सकता है। आशा है की भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को नई ऊंचाइयों पर ले जाकर विश्व के सामने लोकतंत्र का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करेगा और पुनः विश्वगुरु बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ेगा।

♦♦♦♦♦

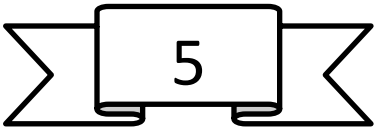

लोकतांत्रिक स्वतंत्रता बनाम चुनावी स्वछंदता

अंशुल कटियार

मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद्यार्थी, शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएड

लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और चुनावी स्वछंदता दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सत्ता का अधिकार लोगों के हाथ में होता है और जो संवैधानिक रूप से स्थापित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता और संचार की स्वतंत्रता देना होता है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के बिना, लोग निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनी आवाज नहीं उठा सकते और न ही चुनावों में अपने नेता चुन सकते हैं।

वही दूसरी ओर, चुनावी स्वछंदता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने पसंदीदा नेताओं और राजनीतिक दलों को चुनते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लोगों को वास्तविक सत्ता के साथ एक स्थान पर बैठने की अनुमति देती है। इससे समाज में न्याय का संरक्षण किया जाता है और सत्ताधारियों को जानना पड़ता है कि वे लोगों की जरूरतो और मांगों को कैसे पूरा कर सकते हैं। चुनावी स्वछंदता के माध्यम से लोग अपने नेता और निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों को लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इसलिए, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और चुनावी स्वछंदता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों के बिना एक स्थायी और समृद्ध समाज संभव नहीं है। तथापि, कई बार लोगों के मध्य इन दोनों विषयों के मध्य एक विरोध दिखाई देता है। इसलिए सही माध्यम से चुनावी स्वछंदता के साथ लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को संरक्षित रखना आवश्यक है।

चुनावी स्वछंदता को बढ़ावा देने के लिए, संघ, राज्य और स्थानीय स्तरों पर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

1. जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजनः चुनावी स्वछंदता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से, लोगों को चुनाव की महत्ता और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया जा सकता है।

2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की उपलब्धताः इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करने से, मतदाताओं को अपने मत को डालने में सुविधा मिलती है और मत चोरी की संभावना भी कम होती है। यह सिस्टम वोटिंग प्रक्रिया को सुरक्षित और सरल बनाता है।
3. मतदाता पहचान पत्रः वोटर आईडी कार्ड की आवश्यक अनिवार्य होनी चाहिए, जिससे कि केवल वोटर कार्ड रखने वाले मतदाता को ही मत डालने की अनुमति मिल सके। इसके लिए वोटर आईडी कार्ड की जांच की जानकारी भी इसके साथ जोड़ी जा सकती है ताकि कोई भी अनाधिकृत आईडी कार्ड के साथ मत न डाल सके।
4. मतदान केंद्रों की सुविधाः मतदान केंद्रों को सुविधाजनक बनाया जा सकता है ताकि मतदाताओं की वोटिंग प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकें। इसमें मतदान केंद्रों में पूर्व विवेक की जानकारी दी जा सकती है जिससे कि मतदाताओं को वोट करना आसान और सुविधाजनक हो सके।
5. शिक्षा कार्यक्रमः स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं जिससे कि युवा मतदाताओं को उनके वोट करने के अधिकारों और उसकी महत्ता के बारे में जागरूकता मिल सके।
6. मीडिया अभियानः मीडिया अभियान का आयोजन किया जा सकता है जो लोगों को चुनावी स्वछंदता के बारे में जागरूक कर सकते हैं। इसमें नाटक, वाद–विवाद, संगोष्ठी आदि सम्मिलित हो सकते हैं।

विश्व भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता मानवता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके माध्यम से लोग अपने अधिकारों का अभ्यास करते हुए अपने राजनीतिक दलों और नेताओं का चयन कर सकते हैं। यह समाज के प्रत्येक वर्ग और स्तर पर लोगों को एक समान ढंग से सशक्त बनाता है। किन्तु चुनावी स्वछंदता इस सिद्धांत को प्रभावित कर सकती है। यह सिद्धांत दावा करता है कि सभी मतदाताओं के वोट का समान मूल्य होता है, किन्तु यदि चुनावों में अनुचित प्रभाव या भ्रष्टाचार होता है तो इस सिद्धांत के लिए क्षति होती है। चुनावी स्वछंदता का अनुभव देशों के भीतर भिन्न–भिन्न होता है।

लोकतंत्र के महत्व को समझने के पश्चात, चुनावी स्वछंदता और लोकतंत्रिक स्वतंत्रता के मध्य अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। चुनावी स्वछंदता एक मतदान में मतदाताओं के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसका अर्थ है कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए जिससे कि वे अपने अधिकारों का उत्तम ढंग से उपयोग कर सकें। मतदाताओं को समझना चाहिए कि वे अपने वोट से कैसे लोकतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। इसके लिए मतदान में उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे वास्तविकता के आधार पर वोट कर रहे हैं और उनके

वोट का महत्व है। लोकतंत्र में संविधान और कानून भी मतदान प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। इसलिए उन्हें भी समझा जाना चाहिए।

दूसरी ओर, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता समुचित संरचनाओं, प्रक्रियाओं और दलों का चयन करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसका अर्थ है कि चुनावी स्वछंदता को अधिकाधिक प्रचार–प्रसार की जरूरत है ताकि लोग सही और उचित निर्णय ले सकें। चुनावों की समय सीमा भी इस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।

इसलिए चुनावी स्वछंदता और लोकतंत्रिक स्वतंत्रता एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना आवश्यक होता है, किन्तु चुनावी स्वछंदता सभी पक्षों को समान दर्जा और समान अवसर देने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चुनावी स्वछंदता एक अधिकार होती है, जो लोगों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने का अवसर देती है। इसलिए लोगों को चुनावों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उन्हें चुनाव के महत्व को समझाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, चुनावी स्वछंदता को सुनिश्चित करने के लिए एक संगठित और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया होना आवश्यक होता है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने वाले अनेक निकायों को एक अनुसंधान और अध्ययन टीम द्वारा जांचा जाना चाहिए। इससे चुनाव प्रक्रिया के लिए नए और अधिक संरचनित नियम और विधियां तैयार की जा सकती हैं।

चुनावी स्वछंदता और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं और दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोगों को चुनावी स्वछंदता के महत्व को समझना चाहिए और चुनाव में भाग लेना चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ होता है ष्जनता का शासनष्। इसका अर्थ होता है कि सरकार लोगों द्वारा चुनी जाने वाली होती है और सभी लोगों का एक समान अधिकार होता है सरकार में भाग लेने का। इसी प्रकार चुनावी स्वछंदता भी लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होती है।

चुनावी स्वछंदता के बिना, लोगों को सरकार में भाग लेने के लिए समान अवसर नहीं मिल सकते हैं। चुनावी स्वछंदता न केवल लोगों को नए और उन्नत नेताओं के लिए मौका देती है, बल्कि इससे उन्हें नेतृत्व में आने के लिए जोश व अवसर मिलता है जो देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है।

चुनावी स्वछंदता का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है निष्पक्षता। एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया समान अवसरों को सुनिश्चित करती है जिससे सभी पक्षों को बराबरी का समान मिलता है। इससे लोगों में विश्वास बढ़ता है और सरकार में आम जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ती है।

इसलिए चुनावी स्वछंदता का महत्व लोकतंत्र के विकास और संरचना में निहित है। चुनावी स्वछंदता एक महत्वपूर्ण मानदंड है, जो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाता है।

किन्तु जब हम चुनावी स्वछंदता को लोकतंत्र के विकास और संरचना का महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं, तो हमें भी इसकी उलझनों और चुनौतियों को समझने की आवश्यकता होती है। इसके अनुभव से पता चलता है कि चुनावी स्वतंत्रता के माध्यम से लोगों को बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं, किन्तु प्रायरू इससे हानि भी होता है। जिसमें लोग अधिक विवादों और वाद–विवादों के शिकार होते हैं और समाज में असंतुष्टि उत्पन्न होती है।

इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि चुनावी स्वछंदता के माध्यम से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कैसे आयोजित किए जा सकते हैं जो लोगों के विश्वास और संभावनाओं को बनाए रखते हुए देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकें, साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण विषय यह है कि चुनावी स्वछंदता के अंतर्गत कई बार राजनीतिक दलों ने लोगों के जातीय, धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का उपयोग करते हुए चुनाव लड़ाए हैं। इससे लोगों में असंतुष्टि उत्पन्न होती है और देश के विकास में बड़ी बाधाएं आती है। इसलिए हमे चुनावी स्वछंदता के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों की भावनाओं को जाति–धर्म के आधार पर विभाजित न किया जाए।

अंततः लोकतंत्र के विकास और संरचना में चुनावी स्वछंदता एक महत्वपूर्ण तत्व है। चुनावी स्वछंदता का संवेदनशील उपयोग इसे एक विकसित और सुरक्षित लोकतंत्र का नेतृत्व करता है जो लोगों की आवाज को सुनता है और उनकी भावनाओं का सम्मान करता है। हमें चुनावी स्वछंदता के अंतर्गत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उनकी स्वर को सुनने और समझने की आवश्यकता है। चुनावी स्वछंदता को जीवंत रखने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना और लोगों को समझाना होगा जिससे कि वे अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सकें और चुनाव में भाग लेने में सक्षम हों सकें। साथ ही, हमें चुनावी स्वछंदता को बढ़ावा देने के लिए नए तकनीकी उपायों का उपयोग करना चाहिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ई–गवर्नेंस और सोशल मीडिया का उपयोग।

इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि चुनावी स्वछंदता और लोकतंत्रिक स्वतंत्रता दोनों का महत्व है। चुनावी स्वछंदता द्वारा हम एक सशक्त और समावेशी लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं जो लोगों के हित में काम करता है और सभी के अधिकारों का संवेदनशील उपयोग करता है। चुनावी स्वछंदता और लोकतंत्रिक स्वतंत्रता दोनों को साथ लेकर हम एक सशक्त और संवेदनशील लोकतंत्र

का निर्माण कर सकते हैं जो हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और न्याय को महसूस कराने में सहायक बनता है।

अंत में, एक सुदृढ़ और समावेशी लोकतंत्र के निर्माण के लिए चुनावी स्वछंदता और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता दोनों आवश्यक हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझकर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ई–गवर्नेंस जैसी नई तकनीकों का लाभ उठाकर, हम एक सशक्त लोकतंत्र बना सकते हैं जो लोगों के लिए काम करता है और सभी के अधिकारों का एक जिम्मेदार माध्यम से संरक्षण करता है। चुनावी स्वछंदता को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के साथ जोड़कर, हम एक सुदृढ़ और सशक्त देश का निर्माण कर सकते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को समान, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण महसूस करने में सहायक बन सके।

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरु तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली– 110007

www.cgs.du.ac.in @cgsofficialdu office@cgs.du.ac.in +91-11-27666281